

सामाजिक न्याय संचालनालय तुलसीनगर (1250) भोपाल-462003

ई-मेल : dpswsbpl@mp.nic.in.

दूरभाष- कार्या० 2556916 फैक्स 252665

क्रमांक/सा.सहा./2018/187
प्रति,

भोपाल दिनांक 6-2-2018

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- पेंशन पोर्टल पर प्रथम दृष्टया संभावित पात्र व्यक्तियों को पेंशन योजनाओं का लाभ समय-सीमा में प्रदाय करने बाबत।
संदर्भ :- मुख्य सचिव, म.प्र.शासन का अर्द्ध शा. पत्र क्र. एफ ओ-1/18/26-2 दिनांक 10.01.2018 एवं संचा० का पत्र क्रमांक 2200 दिनांक 28.10.2017

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनांक 02.01.2018 को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश के लगभग 7.32 लाख संभावित पात्र पाये व्यक्तियों को पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र व्यक्तियों को पात्रता अनुसार वृद्धावस्था, विधवा, निःशक्तजनों के लिए पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, अतएवं ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी व संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा समग्र पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी के आधार पर पेंशन हेतु पेंशन पोर्टल पर प्रथम दृष्टया में पात्र पाये गये व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही संबंधित निकाय के माध्यम से पूर्ण की जावे।

अतएवं अपने अधिनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को पेंशन पोर्टल से प्राप्त सूची अनुसार परीक्षण कर पात्र पाये गये व्यक्तियों को पात्रता अनुसार पेंशन स्वीकृत करने एवं प्राप्त जानकारी में त्रुटि होने पर सुधार करने की कार्यवाही निर्देश जारी करे एवं जिला स्तर पर विशेष बैठक आयोजित की जाकर 28 फरवरी 2018 तक शत-प्रतिशत प्रगति की समीक्षा करे, स्थिति से संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(अशोक शाह)

आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तज

कल्याण म०प्र०

क्रमांक/सा.सहा./2018/188

भोपाल दिनांक 6-2-2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा म.प्र.
3. समस्त आयुक्त नगर निगम म.प्र.
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
5. श्री सुनील जैन, तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. मध्यप्रदेश
6. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण, म.प्र.
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तज
कल्याण म0प्र0